Polity

तदर्थ न्यायाधीश (Adhoc judges) ⇒ Art. 127

⇒ केवल S-Court में नियुक्त किये जाते हैं।

⇒ नियुक्ति S. Court के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद।

⇒ जब S- Court का सत्र / अधिवेशन (Session) चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कमी होती है, तब S- Court में इनकी नियुक्ति की जाती है।

जब गणपूर्ति (Quorum) पूरी न हो।

⇒ ऐसे किसी भी H. Court के Judge को जिसके पास S- Court का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।

* न्यायाधीशों की पदावधि / कार्यकाल *

Tenure of Judges → Age of 65 years / 64 वर्ष की आयु (Maximum Age अधिकतम आयु

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

न्यायाधीशों को हटाये जाने की प्रक्रिया

Removal Process of Judges ⇒ Art. 124 (4) → आधार (Grounds)

① सिद्ध कदाचार
[Proved Misbehaviour]
② असमर्थता [Incopacity]

हटाने का प्रस्ताव (Motion) संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। [either House of Parliament]

Ex:- प्रस्ताव (Motion)
RS में पेश (Introduced in RS)
→ RS में चर्चा (Debate in RS)
→ RS में विशेष बहुमत / 2/3 बहुमत से पारित (Pass)
↳ (LS) – ① पेश ② चर्चा ③ 2/3 बहुमत से पारित
↓
President – Signature (हस्ताक्षर) के बाद जब हट जायेगा

→ इसी तरीके से - H. Court के Judges को
→ CAG को
→ Chief Election Commissioner
→ State election Commissioner को इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है।

Art. 124 (6) → S. Court के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलायी जाती है।
→ इनकी शपथ का प्रारूप (Draft of Oath) अनुसूची (Schedule 3) में है।

* वेतन, पेंशन ⟹ भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
Payed from Consolidated fond of India.

→ मुख्य न्यायाधीश (Chief justice) → 2,80,000 रु / प्रतिमाह (Per month)
→ अन्य " (other ") → 2,50,000 रु / "

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध [Restrictions on Justice]

भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य (Plead or act) नहीं कर सकता है, (अनु० 124(7))
Cannot plead or act before any Court or authority in India. (Article 124 (7))

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ (Powers of S-Court)

Art. 32 → मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करना → S-Court
Art. 226 → " " " " " → H. Court

⇒ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल S-Court को है।
⇒ संविधान का संरक्षक S-Court है।

Art. 129 → S-Court ⇒ Court of Record (अभिलेख न्यायालय)
Art. 215 → H-Court ⇒ " " " (" ")

भारत में केवल Supreme or H-Court ही अभिलेख न्यायालय होते हैं।

Art. 131 ⇒ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) ⇒ S-Court

↳ ऐसे मामलें जिन पर सुनवाई का अधिकार केवल S-Court को होता है, इसमें आते है।

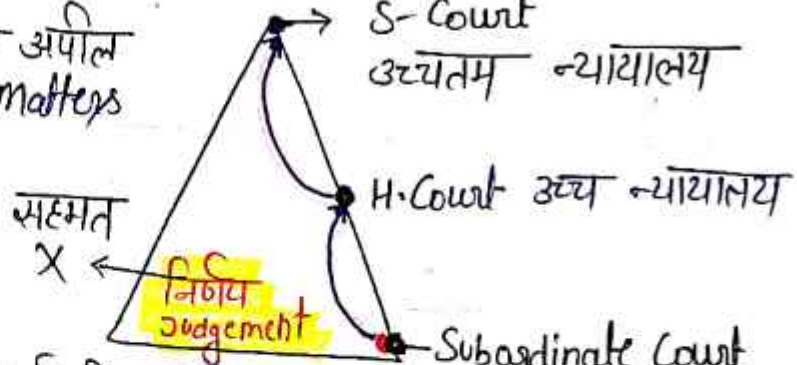
Ex:- ① केंद्र और राज्य के मध्य विवाद (Dispute)

② राज्य और राज्य के मध्य विवाद

③ केंद्र + राज्य Vs कुछ अन्य राज्यों के मध्य विवाद

अपीलीय क्षेत्राधिकार ⟹ अपील करने का अंतिम न्यायालय S-Court
Appellate jurisdiction होता है।

Art. 132 → संवैधानिक मामलों मे अपील
Appeal in Constitutional Matters



⇒ संवैधानिक मामलों में सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य

Art. 133 ⇒ सिविल मामलों में अपील

Art 134 ⇒ आपराधिक मामलों में अपील